# षोडश

# बिहार विधान-सभा

## द्वितीय सत्र

## तारांकित प्रश्न

### वर्ग-1

सोमवार, तिथि 01 चैत्र, 1938 (श0) / 21 मार्च, 2016 (ई0)

**प्रश्नों की कुल संख्या 74**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | गृह विभाग | 48 |
| (2) | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 02 |
| (3) | उद्योग विभाग | 02 |
| (4) | वित्त विभाग | 11 |
| (5) | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | 04 |
| (6) | सामान्य प्रशासन विभाग | 04 |
| (7) | गन्ना उद्योग विभाग | 02 |
| (8) | सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग | 01 |
| | कुल योग — | 74 |

## अपराधियों पर शिकंजा

*1879. श्री नारायण प्रसाद—हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 को प्रकाशित ''शाम ढलते ही सक्रिय हो जाते हैं लुटेरे'' शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिला में शाम होते ही अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि घटना से पीड़ित परिवार पुलिस के पचड़े से बचने के लिए शिकायत दर्ज कराने से कतराता है या पुलिस शिकायतकर्ता को डांट-डपट कर भगा देती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बेलगाम हुए अपराधियों पर शिकंजा कसने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

## कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1880. मो० तौसीफ आलम—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत नगर पंचायत बहादुरगंज के अन्तर्गत गुणा चौहाली एक विशाल कब्रिस्तान है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

## बैंक की शाखा खोलना

*1881. डा० शकील अहमद खाँ—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत कदवा प्रखंड के बिझाड़ा पंचायत के कुम्भ हाट बाजार पर बैंक नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिझाड़ा पंचायत के कुम्भ हाट के आसपास की आबादी दस हजार से अधिक है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कुम्भ हाट बाजार पर बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

## वेतन देने का विचार

*1882. श्री विनोद कुमार सिंह—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी जो सचिवालय में अवर-सचिव/उप-सचिव के पद पर पदस्थापित हैं, उन्हें विशेष वेतन के रूप में 500 रुपये का भुगतान किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सचिवालय सेवा संवर्ग के उक्त पदाधिकारियों को विशेष वेतन के रूप में 500 रुपया नहीं दिया जा रहा है, जबकि कार्य का दायित्व बराबर है, जबकि पहले विशेष वेतन मिलता था ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सचिवालय सेवा संवर्ग के उक्त पद धारकों को भी बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के समकक्ष विशेष वेतन देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1883. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत बौलिया ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

## समस्या का समाधान

*1884. श्री जितेश कुमार—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत [illegible] बाजार में दिन भर जाम लगा रहता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सड़क अतिक्रमण के कारण मुख्य बाजार होते हुए जाने वाली इस सड़क से हल्के एवं भारी सभी तरह के वाहनों का आवागमन हमेशा होता है, जिससे अतिरिक्त जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त जाम की समस्या का समाधान करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

---

## चहारदीवारी का निर्माण

*1885. मो० आफाक आलम—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत श्रीनगर प्रखंड के थाना का चहारदीवारी नहीं होने के कारण थाना के जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त थाना के चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

## कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1886. श्री अजमित ऋषिदेव—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के बसैटी, गुणवंती गाँवों में स्थित कब्रिस्तान की अबतक घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गाँवों के कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अभियुक्त की गिरफ्तारी

*1887. डॉ० रामानुज प्रसाद—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में चिट फंड कम्पनियों का जाल बिछा हुआ है, पश्च-गुलशन ग्रुप कम्पनी, कोलकाता के जेनरल मो० सलीम एवं अन्य 07 कर्मियों द्वारा 26,20,500. रु० गबन करने का भी आरोप है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कृष्ण बिहारी सिंह, ग्राम-शीतलपुर, पो० परसा, थाना-दरियापुर, जिला-सारण (छपरा) द्वारा दिनांक 14 नवम्बर, 2014 को पटना सी०जे०एम० कोर्ट में मो० सलीम एवं अन्य 07 कर्मियों पर कम्प्लेन केस किया गया है जिसका केस सं० 28490/2014 एवं गाँधी मैदान थाना सं० 427/2014 दर्ज है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त कम्प्लेन केस के संदर्भ में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुये दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 को मो० सलीम एवं 07 कर्मियों पर कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट के बावजूद अबतक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं, हो सकी है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मामले में आरोपित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं आम जनता का पैसा वापस कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1888. श्री भोला यादव—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड अन्तर्गत [illegible] गाँव में मुस्लिम सम्प्रदाय का कब्रिस्तान है, जिसकी घेराबंदी अबतक नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

अभियुक्तों की गिरफ्तारी

*1889. श्री सुदामा प्रसाद—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के आरा शहर के राजेन्द्र नगर के मुहल्ला के मोतीमहल्ला के सामने रंगदारी के लिये मंटू राय उर्फ संदीप कुमार ने सोनू कुमार, व्यवसायी की जानलेवा पिटाई की जिसमें संबंधित नवादा थाना केस संख्या 280/15 दर्ज है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे केस नहीं उठाने पर सोनू कुमार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

कार्य प्रारम्भ कराना

*1890. श्री मेवा लाल चौधरी—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के तारापुर अनुमंडल में विगत 12 वर्ष पूर्व उप-कोषागार भवन का निर्माण हो गया है, परन्तु अभीतक कार्यालय स्थापित नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि तारापुर उप-कोषागार में कार्य प्रारम्भ नहीं होने से कोषागार से संबंधित सारे कार्य मुंगेर जिला कोषागार से कराना होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तारापुर उप-कोषागार में कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## पुलिस पिकेट खुलवाना

*1891. <u>डॉ० विनोद प्रसाद यादव</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत शेरघाटी चेरकी रोड में सगाही बाजार में उ०वि० एवं बैंक होने के साथ-साथ साप्ताहिक हाट भी लगता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सगाही में सुरक्षा के लिये कोई पुलिस पिकेट या थाना नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सगाही में पुलिस पिकेट या थाना खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

## अतिक्रमण से मुक्ति

*1892. <u>श्री विनय बिहारी</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के लौरिया प्रखंड मुख्यालय में बाजार की जमीन, बस स्टैंड की जमीन, टॉगा स्टैंड की जमीन अतिक्रमित है, जिसपर अवैध रूप से लोगों ने दुकान बना रखा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

## थाना भवन का निर्माण

*1893. <u>श्री विजय कुमार मंडल</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत कुर्सा कांटा प्रखंड के सोनामनी थाना को अपना भवन नहीं रहने के कारण पाट के गोदाम में चल रहा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सोनामनी थाना को अपना भवन निर्माण कर अपने भवन में चलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

## कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1894. <u>श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर प्रखंडान्तर्गत ग्राम चंदेस में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान के जमीन का अतिक्रमण हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

गिरफ्तार करना

*1895. श्री अशोक कुमार सिंह (224)—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिले के महम्मदपुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत श्रीमती बच्ची देवी, पति श्री स्वामीनाथ प्रसाद के द्वारा मार-पीट महिला उत्पीड़न की प्राथमिकी श्री गुड्डू कुमार गुप्ता, अनिल कुमार, गजेन्द्र साह, मनीजी साह के विरुद्ध महम्मदपुर थाना काण्ड संख्या 16/16 के रूप में दिनांक 3 फरवरी, 2016 को दर्ज करायी गई ;

(2) क्या यह बात सही है कि पुलिस निरीक्षक, गोपालगंज के द्वारा बिना घटना स्थल पर गये ही महिला उत्पीड़न के दोषी अभियुक्त गुड्डू कुमार गुप्ता, पिता श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता को निर्दोष मानते हुये गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गयी है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त काण्ड की धारा 341, 323, 324, 354, 379, 504-34 नॉन बेलेबुल ऑफेंस है परन्तु अबतक किसी दोषी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई, यदि हाँ, तो सरकार दोषी अभियुक्तों को कबतक गिरफ्तार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

भवन का निर्माण

*1896. श्री रमेश ऋषिदेव—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत श्रीनगर प्रखंड में स्थित श्रीनगर थाना का अपना भवन नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार श्रीनगर थाना को अपना भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

निर्माण कराना

*1897. मो० तौसीफ आलम—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत टेढ़ागाछी प्रखंड मुख्यालय में सर्किट हाउस (निरीक्षण भवन) नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड में सर्किट हाउस नहीं रहने के कारण सांसद-विधायक एवं वरीय पदाधिकारी को ठहरने में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में सर्किट हाउस का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

जलमीनार स्थापित करना

*1898. श्री विजय कुमार सिन्हा—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला स्थित लखीसराय जेल में एक भी जलमीनार नहीं रहने के कारण कैदियों एवं आरक्षियों को पानी पीने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जेल के कैदियों एवं आरक्षियों को पानी पीने हेतु जेल में जलमीनार स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्त करना

*1899. श्री संजय सरावगी—स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 26 नवम्बर, 2015 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "नौकरी की आस में भटक रहे दिव्यांग" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2010 में सचिवालय सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु ली गई परीक्षा का अंतिम परिणाम 2013-14 में जारी किया गया था, जिसमें 49 दिव्यांग उम्मीदवार भी चयनित हुए थे ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सफल दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियुक्ति अबतक सरकार द्वारा नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित सफल अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जेल की स्थापना

*1900. श्री फैसल रहमान—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सिकरहना अनुमंडल में जेल नहीं रहने से अपराधियों को मोतिहारी जेल में रखना पड़ता है, जहाँ कैदियों की संख्या अधिक है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सिकरहना अनुमंडल में जेल की स्थापना कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1901. श्री वशिष्ठ सिंह—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड करगहर के ग्राम-[illegible] में कब्रिस्तान की एक एकड़ भूमि है, जिसका खाता संख्या 62 एवं प्लॉट संख्या 344 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान की भूमि की घेराबन्दी नहीं होने से ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रिक्त पदों को भरना

*1902. श्री ललन पासवान—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में कुल 70 हजार आरक्षी बल हैं, जिसमें 4,320 अनुसूचित जाति एवं 1,120 अनु० जन-जाति का आरक्षी बल है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में अनुसूचित जाति के 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जन-जाति को एक प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है ;

(3) क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति के 4,780 आरक्षी बल एवं अनुसूचित जन-जाति के 5,880 आरक्षी बल रिक्त है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विशेष अभियान चलाकर रोस्टर के अनुसार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1903. श्री वशिष्ठ सिंह— क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के कोचस प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-उसमी में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उसमी ग्राम के कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

राशि का वितरण

*1904. मो० नेमतुल्लाह—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में मैट्रिक एवं इन्टर के अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को गोपालगंज जिला में अभीतक प्रोत्साहन राशि का वितरण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार प्रोत्साहन राशि कबतक वितरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

गाड़ी उपलब्ध कराना

*1905. श्री दिनेश चन्द्र यादव—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत अनुमंडलीय मुख्यालय सिमरी बख्तियारपुर अग्निशमन कार्यालय में दो गाड़ी उपलब्ध थी, जिसमें से एक गाड़ी तीन वर्ष पूर्व एक्सीडेन्ट होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी जो मरम्मती योग्य भी नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार सिमरी बख्तियारपुर अग्निशमन कार्यालय को एक फायर ब्रिगेड गाड़ी कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

राशि का भुगतान

*1906. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014-15 में सिधवलिया सुगर मिल (गोपालगंज) द्वारा 10 करोड़ एवं सासामुसा सुगर मिल (गोपालगंज) द्वारा 8 करोड़ 54 लाख रुपये बकाये राशि का भुगतान गन्ना किसानों को अबतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार किसानों के बकाये राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

उप-कोषागार खोलना

*1907. श्री अमित कुमार—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बैरगनियाँ प्रखंड में उप-कोषागार नहीं होने के कारण इस इलाके के आम जनता को 30 कि०मी० दूर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बैरगनियाँ प्रखंड में उप-कोषागार कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## आवास खाली कराना

*1908. श्री केदार प्रसाद गुप्ता--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर शहर में जिला परिषद् अध्यक्ष का आवास है जिसे असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध ढंग से कब्जा कर लिया है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त आवास को तत्काल खाली कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

## घटनाओं को रोकथाम

*1909. श्री मिथिलेश तिवारी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2015 के अंत तक कुल हत्या 3,178, डकैती 426, छेड़खानी 451, बलात्कार 1,041, अपहरण 7,127 की घटनायें घटित हुयी हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रकार की घटनाओं को रोकने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

## कारा का निर्माण

*1910. डॉ० रामानुज प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत सोनपुर को अनुमंडल बने 24 वर्ष बीत गये हैं; परन्तु अभीतक सोनपुर में अनुमंडल कारा का निर्माण नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सोनपुर में अनुमंडलीय कारा का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

## भवन निर्माण नहीं कराने का औचित्य

*1911. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्या के पत्रांक 03(आ०), दिनांक 3 जनवरी, 2013 द्वारा माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सीतामढ़ी जिला के बेलसंड नगर पंचायत में मदरसा इस्लामिया अरबिया अंजुमनुल उलूम में भवन निर्माण कराने हेतु पत्र लिखा गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के पत्रांक 14/आ०, दिनांक 4 जनवरी, 2013 द्वारा जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी, सीतामढ़ी को इसे एम०एस०डी०पी० योजना में शामिल करने हेतु निदेश दिया गया;

(3) क्या यह बात सही है कि मदरसा इस्लामिया अरबिया अंजुमनुल उलूम में 400 छात्र आवास के नीचे पढ़ते हैं;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो एम०एस०डी०पी० योजना में शामिल कर मदरसा इस्लामिया अरबिया अंजुमनुल उलूम का भवन निर्माण नहीं कराने का क्या औचित्य है ?

## उप-कोषागार की स्थापना

*1912. श्रीमती गुलज़ार देवी—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत फुलपरास अनुमंडल का सृजन वर्ष 1992 में हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित अनुमंडल मुख्यालय में उप-कोषागार आजतक नहीं खुल पाया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो कबतक सरकार वर्णित अनुमंडल मुख्यालय में उप-कोषागार की स्थापना करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

---

## सुरक्षा की व्यवस्था

*1913. श्री समीर कुमार महासेठ—क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दिल्ली स्थित बिहार निवास भवन में ठहरने वाले माननीय सदस्यों एवं प्रदेश के अति विशिष्ट व्यक्तियों के बीमार पड़ने पर या आकस्मिक स्थिति में उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई चिकित्सक या चिकित्सा कर्मचारी पदस्थापित नहीं हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार निवास भवन में माननीय सदस्यों, अति विशिष्ट व्यक्तियों का सुरक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते बाहय व्यक्ति निर्विरोध रूप से आते-जाते हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार निवास भवन में चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के साथ-साथ समुचित सुरक्षा की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

## रिहाई कराने का विचार

*1914. श्री सुदामा प्रसाद—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के मंडल कारा में 8 बंदी (1) श्री विदेश्वरी कुमार, पे० इन्द्र कुमार सिंह (2) श्री इन्द्र कुमार सिंह, पे० स्व० बहादुर सिंह (3) राजेश्वर सिंह, पे० स्व० नगीना सिंह (4) छोटन दुसाध, पे० स्व० भीम दुसाध (5) अशोक कुमार सिंह, पे० भोला सिंह (6) मनोज कुमार सिंह, पे० राम प्रवेश सिंह (7) राम प्रवेश सिंह, पे० स्व० राम इकबाल सिंह (8) बृजनंदन सिंह, पे० स्व० राम इकबाल सिंह जो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि वास्तविक सजा चौदह वर्ष एवं परिहार सहित 20 वर्ष सजा पूरा करने के बाद रिहा किये जाने के सरकारी प्रावधान के बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित आजीवन कारावास की सजा परिहार सहित 20 वर्ष की सजा पूरा करनेवाले कैदियों को रिहाई कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

## भवन का निर्माण

*1915. श्री यदुवंश कुमार यादव—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत निर्मली अनुमंडल की स्थापना 25 वर्ष पूर्व की गयी है;

(2) क्या यह बात सही है कि अनुमंडल स्तर पर जमीन उपलब्ध रहने के बाद भी अनुमंडलीय कारा भवन का निर्माण नहीं कराया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कारा भवन का निर्माण कराने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

थाना का दर्जा देना

*1916. श्री नीरज कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत फलका प्रखंड के पोठिया ओ०पी० 40 सालों से एवं बरारी प्रखंड के सेमापुर ओ०पी० 40 सालों से संचालित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों प्रखंडों के ओ०पी० को थाना का दर्जा कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

मुआवजा एवं नौकरी देना

*1917. श्री मुद्रिका सिंह यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि श्री कमलेश सिंह, ग्राम-जोन्हा, थाना-करपी, जिला-अरवल के पिता एवं भाई की उग्रवादियों द्वारा वर्ष 2014 में हत्या कर दी गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि अबतक उन्हें प्रावधान के अनुसार मुआवजा एवं नौकरी नहीं दी जा सकी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पीड़ित परिवार को कबतक मुआवजा एवं नौकरी देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

थाना भवन का निर्माण

*1918. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत आमस थाना का भवन पुराना एवं जर्जर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार आमस थाना भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

बैंक की शाखा खोलना

*1919. श्री दिनेश चन्द्र यादव--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर प्रखण्ड के सिटानाबाद गाँव की आबादी दस हजार है;

(2) क्या यह बात सही है कि सिटानाबाद में एक भी बैंक नहीं रहने से आम लोगों को काफी असुविधा होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के सिटानाबाद में बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन बनाना

*1920. श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला में कल्याणपुर थाना भवनविहीन [illegible] है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना टूटे-फूटे खपरैल तथा फूस के घर में संचालित हो रहा है, जिससे थाना में पदस्थापित पुलिसकर्मी काफी असुरक्षित हैं तथा आवश्यक कागजातों के रख-रखाव एवं अन्य कार्यों में भी काफी परेशानी होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कल्याणपुर थाना का पक्का भवन बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

बैंक की शाखा खोलना

*1921. श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड अन्तर्गत कुआरम गाँव थाना नं० 163 में राष्ट्रीयकृत बैंक की कोई शाखा नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव की आबादी 10 हजार से ज्यादा है तथा सरकार ने 5 हजार की आबादी पर बैंक की शाखा खोलने का निर्णय लिया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कुआरम में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1922. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के [illegible] प्रखंड अन्तर्गत [illegible] ग्राम पंचायत के [illegible] कब्रिस्तान खाता नं० 205, खेसरा नं० 210, रकबा 58 डिसमिल की घेराबन्दी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

पुलिस चौकी खोलना

*1923. श्री राजकुमार राय—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर विधान-सभा के खगड़िया, बेगूसराय एवं दरभंगा जिला के सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण अपराधी घटना कर सीमावर्ती क्षेत्र में छिपने का स्थान बना लेते हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि हसनपुर थाना क्षेत्र के [illegible] चौक एवं बिथान थाना क्षेत्र के [illegible] स्थान पर स्थायी पुलिस चौकी नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त स्थान पर स्थायी पुलिस चौकी खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

कार्य पूर्ण कराना

*1924. श्री [illegible]—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के [illegible] प्रखंडान्तर्गत [illegible] पंचायत में [illegible] एवं [illegible] कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं करायी गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कार्य कबतक पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना स्थापित करना

*1925. श्री रामदेव राय— क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बछवाड़ा प्रखंड के चमथा-1, चमथा-2, चमथा-3, विशनपुर एवं दादुपुर पंचायत गंगा दियारा क्षेत्र में अवस्थित है, जो पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय की सीमा है, वहाँ से बछवाड़ा थाना की दूरी 20 कि०मी० रहने के कारण पुलिस गश्त नहीं होती है, जिससे आपराधिक गतिविधि बढ़ी हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार आम जनता को सुरक्षा देने हेतु चमथा में थाना स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

यातायात थाना खोलना

*1926. श्री अशोक कुमार सिंह (203)— क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने सभी जिलों में यातायात थाना खोलने का निर्णय लिया है;

(2) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला में यातायात थाना नहीं है;

(3) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के भभुआ, चांदनी चौक मोहनियाँ, रामगढ़, कुदरा बाजार में सड़क पर अक्सर जाम लगा रहता है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कैमूर जिला में यातायात थाना खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

अभियुक्तों की गिरफ्तारी

*1927. श्री उमेश सिंह कुशवाहा— क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध गोपालगंज में नगर थाना कांड सं० 259/15, 341/15 तथा कुचायकोट थाना कांड संख्या 259/14 दर्ज हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 11 अगस्त, 2015 को उक्त अभियुक्तों द्वारा [illegible] 25 पर मकान को खाली कराकर मुकदमा वापस लेने, नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी लिखित सूचना सूचक द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2015 को आरक्षी पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज को दी गई, परन्तु अभियुक्तों की गिरफ्तारी अबतक नहीं हुई है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अभियुक्तों को कबतक गिरफ्तार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1928. श्री रमेश ऋषिदेव— क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत कुमार खंड प्रखंड के [illegible] गाँव में स्थित दो कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

[illegible]

*1979. श्री अशोक कुमार सिंह (301) : क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि [illegible] जिला में [illegible];

(2) क्या यह बात सही है कि [illegible];

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार [illegible] का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

[illegible]

*1980. श्री [illegible] : क्या मंत्री, [illegible] यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि [illegible];

(2) [illegible];

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो [illegible] विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

[illegible]

*1981. श्री [illegible] : क्या मंत्री, [illegible] यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि [illegible];

(2) क्या यह बात सही है कि [illegible];

(3) क्या यह बात सही है कि [illegible];

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो [illegible] विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

[illegible]

*1982. श्री [illegible] : क्या मंत्री, [illegible] यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि [illegible];

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो [illegible] विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

हाई टेक बनाना

*1933. डा० [illegible] : क्या मंत्री, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सूचना केन्द्र, [illegible] आधुनिक सुविधाओं एवं कर्मियों के अभाव में मृतप्राय हो गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार [illegible] केन्द्र में आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराकर इसे हाई-टेक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

**प्रभारी मंत्री**—(1) अस्वीकारात्मक है।

(2) सूचना केन्द्र, नई दिल्ली [illegible] में अत्याधुनिक [illegible] सुविधा यथा कम्प्यूटर, इंटरनेट, [illegible], फैक्स आदि सुविधा उपलब्ध है।

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1934. श्री [illegible] : क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि [illegible] जिलान्तर्गत [illegible] प्रखंड के [illegible] ग्राम [illegible] स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य वर्ष 2011 में प्रारंभ हुआ जो आजतक पूरा नहीं हो सका;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कार्य हेतु गृह विभाग के ज्ञापांक [illegible], दिनांक [illegible] अगस्त, 2015 द्वारा जिलाधिकारी, [illegible] को पत्र भी भेजा गया, परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस ओ०पी० को थाना बनाना

*1935. श्री [illegible] : क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि [illegible] जिलान्तर्गत [illegible] है [illegible] है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना के अन्तर्गत [illegible] पुलिस ओ० पी० है लेकिन [illegible] क्षेत्र होने के कारण विधि-व्यवस्था के नियंत्रण में कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार [illegible] पुलिस ओ० पी० को थाना में परिवर्तित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

समुचित विपणन का अभाव

*1936. श्री [illegible] : क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में [illegible], केला, लीची, अमरूद और विभिन्न प्रकार के अन्य फलों एवं सब्जियों के उत्पादन के मामले में देश के कुल उत्पादन का 13 प्रतिशत बिहार में उपजता है लेकिन फूड प्रोसेसिंग [illegible] महज 1.28 प्रतिशत है, जिससे भंडारण, संरक्षण और समुचित विपणन के अभाव में फल या सब्जियाँ बर्बाद हो जाती हैं, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

बैंक की शाखा खोलना

*1937. श्री नन्द कुमार राय—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर नगर पंचायत की जनसंख्या 30,000 (तीस हजार) से ज्यादा है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नगर पंचायत के अन्तर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है, परन्तु इन सभी बैंकों में खाताधारकों की भीड़ लगी रहती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नगर पंचायत में एक अतिरिक्त बैंक शाखा खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

बैंक की शाखा खोलना

*1938. डॉ० शकील अहमद खाँ—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत कदवा प्रखण्ड के भरतिया पंचायत के चौकी बाजार पर सरकारी बैंक नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि भरतिया पंचायत के चौकी बाजार के आस-पास की आबादी पन्द्रह हजार से अधिक है, यदि हाँ, तो क्या सरकार चौकी बाजार पर बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

थाना स्थापना

*1939. श्री रामप्रीत पासवान—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के अन्तर्गत राजनगर 25 पंचायतों का एक बड़ा प्रखंड है;

(2) क्या यह बात सही है कि राजनगर से रामपट्टी की दूरी 10 कि०मी० है, जिसके कारण वहाँ आये दिन आपराधिक घटना होती रहती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रामपट्टी में कबतक थाना बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

एस०पी०ओ० की नियुक्ति

*1940. श्री गिरिधारी यादव—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नक्सल प्रभावित जिलों में एस०पी०ओ० (विशेष पुलिस पदाधिकारी) की नियुक्ति का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि जमुई जिला नक्सल प्रभावित जिला है, परन्तु जमुई जिला में एस०पी०ओ० (विशेष पुलिस पदाधिकारी) की नियुक्ति नहीं की जा सकी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जमुई जिले में एस०पी०ओ० की नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल खोलना

*941. श्री राम [illegible]--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि [illegible] जिलान्तर्गत [illegible] विधान सभा क्षेत्र में [illegible] प्रखण्ड एवं [illegible] प्रखण्ड में गन्ना की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है जबकि एक भी चीनी मिल नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों में चीनी मिल खुलवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*1042. श्रीमती [illegible] देवी--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के [illegible], चोरौत, [illegible], सुरसंड, बेलसंड आदि प्रखण्डों को मिलाकर [illegible] की कमी से विकास कार्य प्रभावित हो रहा है;

(2) [illegible] सीतामढ़ी जिला में [illegible];

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार [illegible] रिक्त पदों पर नियुक्ति करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

[illegible] स्थापित करना

*1043. श्री [illegible] सिंह यादव--क्या मंत्री, [illegible] विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि [illegible] जिला [illegible] के पिछड़े जिलों में आता है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस जिला में [illegible] का कोई [illegible] स्थापित नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार [illegible] जिलों में [illegible] स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

[illegible]

*1044. श्री [illegible]--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014 में राज्य में आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु [illegible] का गठन किया गया, [illegible] प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होकर आया है;

(2) क्या यह बात सही है कि इन दलों का कोई अपना एवं विशिष्ट संवर्ग नहीं है, जिसके कारण [illegible];

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार [illegible] दलों में प्रतिनियुक्त अधिकारियों का एक विशिष्ट संवर्ग बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

हवाई पट्टी की मरम्मती

*1945. श्री रामसेवक सिंह— क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला अंतर्गत सबेया हवाई पट्टी का निर्माण अंग्रेजी शासन के समय किया गया तथा इसका क्षेत्रफल बिहार के सभी हवाई पट्टी से अधिक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त हवाई पट्टी की मरम्मती नहीं होने से हेलीकॉप्टर विमान नहीं उतर रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त हवाई पट्टी की मरम्मती कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थानान्तरित करना

*1946. श्रीमती (डॉ०) रंजू गीता— क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखंड के मधुबन बसहा ग्राम के नाम से जो भारतीय स्टेट बैंक की शाखा है वह बाजपट्टी प्रखंड मुख्यालय में है, जो बसहा ग्राम से 7 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इतनी दूरी पर शाखा अवस्थित होने के कारण उक्त पंचायत एवं अगल-बगल के ग्राम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जबकि यह गाँव बथनाहा, पुपरी, बाजपट्टी एवं सुरसंड प्रखंड को जाने वाली मार्ग पर स्थित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त शाखा भारतीय स्टेट बैंक को बाजपट्टी से मधुबन बसहा ग्राम में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन बनाना

*1947. मो० आफाक आलम— क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के कसबा थाना किराया भवन में चल रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कसबा थाना का नया भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*1948. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह— क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत [illegible] प्रखंड अंतर्गत [illegible] बाजार में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का कोई शाखा नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बाजार में बैंक का शाखा नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को विकास कार्यों में काफी असुविधा होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बाजार में स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना स्थापित करना

*1949. श्री विनय कुमार सिन्हा—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत चानन प्रखंड स्थित कुर्माडीह ग्राम पहाड़ों के बीच में है और यहाँ हजारों [illegible] [illegible] लगाया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि चानन प्रखंड में 30 कि०मी० का क्षेत्रफल उग्रवाद एवं अपराध प्रभावित है और यहाँ एक मात्र थाना [illegible] में रहने से अपराधिक घटनाएँ होती रहती हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु चानन प्रखंड के कुर्माडीह में एक थाना स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

घोषित करना

*1950. डॉ० रंजू गीता—क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखंड के मधुरापुर निवासी शहीद रामफल मंडल का 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों द्वारा फाँसी दे दी गई [illegible] के 67 वर्षों बाद भी अमर शहीद के नाम पर उनके जन्मस्थली मधुरापुर में पार्क और आदमकद मूर्ति का निर्माण सरकार द्वारा नहीं कराया गया है और न ही उनके सम्मान में राजकीय समारोह घोषित किया गया है ; यदि हाँ, तो सरकार मधुरापुर पार्क में आदमकद मूर्ति का निर्माण और उनके सम्मान में राजकीय समारोह घोषित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा मुहैया कराना

*1951. श्री [illegible] सिंह—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला अन्तर्गत बीजुर ओ०पी० का भवन पिछले 10 वर्षों से जर्जर होने के कारण पुलिसकर्मियों को प्रशासनिक कार्यों में काफी कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बीजुर ओ०पी० में पदस्थापित पुलिसकर्मियों के लिये आवास नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बीजुर ओ०पी० के लिये अपना भवन एवं पुलिसकर्मियों के लिये आवास की सुविधा मुहैया कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल बनाना

*1952. डॉ० शमीम अहमद—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के [illegible] विधान सभा क्षेत्र के [illegible], [illegible] एवं [illegible] प्रखंडों को मिलाकर [illegible] अनुमंडल बनाने की सभी अर्हताएँ पूर्ण करता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त तीनों प्रखंडों को मिलाकर [illegible] अनुमंडल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 21 मार्च, 2016 (ई०)।

राजीव कुमार,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु० (एल०एम०), 190-डी०टी०पी०-300